

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2014

पत्र संख्या-1/एल01-10-02/2007 गृ0आ0 /श्रीमती के0 एस0 अनुपम, भा0पु0से0 (1998), पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं0 6271, दिनांक 25.07.2014 के द्वारा स्वीकृत दिनांक 20.05.2014 से 18.07.2014 तक कुल 60 (साठ) दिनों के उपार्जित अवकाश उपभोग के क्रम में अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 19.07.2014 से 17.08.2014 तक कुल 30 (तीस) दिनों के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश के विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-02/2007 गृ0आ0 /पटना, दिनांक दिसम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-02/2007 गृ0आ0 /पटना, दिनांक दिसम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-02/2007 गृ0आ0 10614/पटना, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्रीमती के0 एस0 अनुपम, भा0पु0से0 (1998), पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), हैदराबाद/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।